न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीविजयनगर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती शकुन्तला, आर.ए.एस.

रिमाण्ड प्र.सं. 66/2022(मूल प्र.सं. 09/2018)
जीसीएमएस नं. : 2022/140

1. सतनाम सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीवी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. कश्मीर सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जटसिख निवासी 25 जीवी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–

1. श्री गुरविन्द्र सिंह क्वात्रा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री सुरेन्द्र भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार

–:: आदेश ::–

दिनांक : 28.10.2025

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि –

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि चक 25 जीबी मु.नं. 21 कि.नं. 1 ता 4, 13 ता 18 की 2.530है. भूमि प्रार्थी के नाम से, कि.नं. 23 ता 25 का रकबा प्रार्थी की पत्नी कलवन्त कौर के नाम से शेष कि.नं. 5,6,7,8,9,10,11,12 का रकबा अप्रार्थी कश्मीर सिंह के नाम से रिकार्ड दर्ज है। कि.नं. 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा आम चालू है। प्रार्थी को अपनी भूमि में प्रवेश हेतु कि.नं. 25 में अपनी पत्नी की भूमि इससे आगे स्वयं की भूमि में से होकर इसके पश्चात अप्रार्थी की खातेदारी भूमि कि.नं. 6 के पश्चिम दिशा में से होते हुए अपने कि.नं. 4 की भूमि में प्रवेश हेतु अप्रार्थी की भूमि कि.नं. 6 में पश्चिम पासा दक्षिण से उत्तर कि.नं. 4 की हद तक रास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गयी तथा दिनांक 23.03.2018 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कि.नं. 6 में 1 बिस्वा रास्ता स्वीकार किया गया। अप्रार्थी द्वारा मा. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष न्यायलय के निर्णय दिनांक 23.03.2018 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के द्वारा अपील संख्या 55/2018 में दिनांक 30.06.2022 को निर्णय पारित करते हुए न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.03.2018 को अपास्त कर प्रकरण दोनों पक्षों को सुनकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के नियम 69 की पालना करते हुए विधि अनुसार पुनः निर्णय पारित करने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया। रिमाण्ड प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को तलब किया गया। उभयपक्ष जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। भू.अभिलेख निरीक्षक से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गयी तथा पीठासीन अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया।
3. अप्रार्थी सं. 1 जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता अव्यवहारिक है। यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो प्रार्थी की भूमि दो हिस्सों में बंट जायेगी। प्रार्थी की भूमि में पूर्व से ही एक आड़ चली आ रही है। एक ही बीघा में रास्ता व खाला नहीं दिये जा सकते। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

पास अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसके द्वारा प्रार्थी अपने रकबा में प्रवेश कर रहा है। प्रार्थी को मु.नं 21 कि.नं. 25 से 6 तक रास्ता दिया जाता है तो दोनों पक्षकारों को भविष्य में सुगम रास्ता रहेगा। प्रकरण में पटवारी हल्का जो रिपोर्ट तैयार की गई थी जो कि राज.काश्त.अधि. 251ए के नियम 69 की पालना के विपरीत होने के कारण उक्त अधिनियम के तहत पूर्णतया प्रर्फोमा में नहीं होने कारण भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। मुरब्बे के कि.नं. 5 में नक्का बना हुआ है। जिससे घरेलु आड कि.नं. 5 से 4 की बट तक, कि.नं. 4 की बट लाईन से 6–7 की बट लाईन के बीच में से कि.नं. 15 व 14 के बीच तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी को सिंचाई हेतु सिंचाई नियमों के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत शुदा आड़ मंजूर की हुई है। जो मौके पर चल रही है। जिससे प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों अपनी अपनी कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रहे है। यदि कि.नं. 7 में रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत आड के आदेश की भी अवहेलना होगी एवं 4 से 10 की हद तक आने के कारण रास्ता मंजूर किये जाने से उसके भी टूटने एवं दो भागों में भूमि विभाजन होने के कारण हमेशा खाला/आड टूटने का अंदेशा बना रहेगा जिससे विवाद की स्थिति बनी रहेगी। पूर्व में मु.नं. 21 के कि.नं. 21 ता 25 में सरकारी रास्ता एवं 25 ता 6 तक घरेलू रास्ता करीब 30 वर्षों से चलता था। जिससे दोनों पक्षकारों को आने जाने के लिए सुगम एवं सही रास्ता था। जिसको पूर्व में राजस्व विभाग द्वारा अपने नजरी नक्शा में दर्शाया गया था। इसलिए इस रास्ते को मंजूर किया जाता है तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की कोई परेशानी आने जाने में नहीं होगी तथा हमेशा के लिए विवाद से छुटकारा मिल जायेगा। उक्त दोनों मुरब्बों में अन्य काश्तकार है जो इस मुकदमा में आवश्यक पक्षकार थे। जिनको प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिससे कि मौके की सही वस्तुस्थिति से अवगत हो सके। प्रार्थना पत्र खारिज करन हेतु निवेदन किया।

4. भू.अ.नि. वृत श्रीविजयनगर की रिपोर्ट के अनुसार रास्ते की आवश्यक्ता है क्योंकि अन्य कोई रास्ता नहीं है। खाली जोत में से होकर आवागमन किया जाता है कोई स्थायी रास्ता मौके पर नहीं है। चाहा गया रास्ता निकटतम लघुतम है। चाहा गया रास्ता स्वीकृत करने से प्रतिवादी की जोत दो भागों में विभक्त होती है जिस कारण मुरब्बा लाईन मु.नं. 165/417(21) कि.नं. 5,6,15,16,25 में से रास्ता दिया जा सकता है।

5. बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील अप्रार्थी लिखित बहस पेश की। वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वांछित मार्ग स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

6. बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एवं लिखित बहस वकील अप्रार्थी पर मनन किया। रिपोर्ट भू अ.नि. का परिशीलन किया। उभयपक्ष की मु.नं. 21 एवं मु.नं. 22 में भूमि स्थित है। अप्रार्थी द्वारा मुख्यतः आपत्ति प्रकट की गयी है कि यदि चाहा गया रास्ता स्वीक[illegible] अप्रार्थी की भूमि दो भागों में विभक्त हो जाएगी। लेकिन अप्रार्थी द्वारा [illegible] में अंकित विकल्प में प्रस्तावित रास्ता कि.नं. 25 से 6 त[illegible] जावे तो भी अप्रार्थी की भूमि दो भागों में विभक्त [illegible] लिखित बहस में अंकित कि.नं. 25 से 16 की बट लाईन पश्चिम से उत्तर तक एवं आगे पूर्व से पश्चिम कि.नं. 6 से 7 की बट लाईन के साथ साथ कि.न[illegible] की हद तक रास्ता स्वीकार किये जाने पर मनन किया गया जो कि प्रथम दृष्टया ही अव्यवहारिक है तथा ना ही प्रार्थी द्वारा इस पर सहमति प्रकट की है। उपर्युक्त विवेचन व विवादित स्थल का निरीक्षण करने एवं रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक से स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु स्वीकृतशुदा मार्ग नहीं है, वैकल्पिक

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested

मार्ग का अभाव है तथा चाहा गया रास्ता ही निकटतम मार्ग है। ऐसे में न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि प्रार्थी द्वारा की जा रही रास्ता की मांग सुखाधिकार के लिए नहीं होकर अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक चक 25 जीबी मु.नं. 21 कि.नं. कि. नं. 6 में पश्चिम पासा दक्षिण से उत्तर कि.नं. 4 की हद तक 1 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी अप्रार्थी को रास्ते में आई भूमि की एवज में रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशि मुआवजा के तौर पर अदा करेगा। तहसीलदार श्रीविजयनगर रास्ता में आई भूमि पर प्रतिकर राशि की गणना कर नियमानुसार प्रार्थी से राशि जमा करवा अप्रार्थी सं. 1 को भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें एवं स्वीकृतशुदा गैर मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीविजयनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शकुन्तला
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.11.06 13:20:07 IST
Reason: SelfAttested